



## हलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30310 नंबर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिए कि उस भूमि के मालिक में जिस पर भूकान जने हुनके किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गणित्वात अधिकारी गर कियो का कोई अरत पहलु अर्थात् यह अनुमति किसी के निहितक्यत या सारित्व के अधिकारके के विरुद्ध कोई प्रभाव न रहवो।

निम्नलिखित शर्तियों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि: बंगालो / श्री. अशुतोष झा, अरुणखण्ड

एक निर्माणार्थ अनुमति-पत्र पता: पति क नाम श्री  
श्री. M. D. श्री. साजीव 22/10/22  
पुहला का. 8-70-22

में जगह में दर्शात स्थान पर जो प्लान के साथ अनुमति-पत्र के साथ सर्वे के दिशा में अनुमति के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

दिनांक: 12.6.18



22.6.18  
 अधिकारी  
 हलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
 हलाहाबाद

नोट :- अतिरिक्त शर्तें जहाँ- अनुमति-पत्र

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉल वॉर को अर्थात् के लिए है यदि भवन का निर्माण स्वीकृत पत्र के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो उसे निरबाध जा सकता है जिसका पूर्ण व्यय मार प्राप्ति पर होगा। यदि कोई इमारत बिना क्विंटेस प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होगी तो उसके निर्माणकर्ता को लफ्ट डेन जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सर्वेक्षण विकास प्राधिकरण द्वारा इतना दिया जायेगा और उसके बाद के सर्वेक्षण को मार उस इमारत बनाने वाले को 10 प्रतिशत सख्त जुर्माने के साथ अर्थात् कि. जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में उल्लेख नहीं या नहीं पर बढ़ा कर वाजोबस्तान जैसे कि धोड़ियों, बाजार, तोड़ना, सड़ना, इन नये अथवा पुनः निर्माण को तोड़कर उस ऊपर फिर से नये निर्माण की स्वीकृति वाले उम्मेद सदा नवसे में डिवाइड भी हो नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किनारे भाग, जो पत्तन के अन्तर्गत 'वेल्डिंग' अथवा उसके अन्तर्गत के कारण इष्ट नहीं हो; को हटाने पहुँचे तो पुनर्स्थापना हेतु मार जो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र काल तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत अथवा पुनर्स्थापना अथवा निरारो विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देना।
4. गृह निर्माण के साथ इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत आयोग 1956 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का अन्वयन किसी भी रक्षा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलों पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. अर्थात् को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवार होने से पूर्व देना होगा तथा उस अडमी का नाम भी देना होगा जिसके निर्माण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होना पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर 3 अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही अथवा की जायेगी।

12.6.18  
 12.6.18


APPROVED  
 84th ME. CO. 1  
 No. 10/2020/AT

**COMPOUNDING PLAN OF COMMERCIAL BUILDING ON HOUSE NO.22, NAZOL PLOT NO.22/AT M. GARG, CIVIL STATION, ALLAHABAD**




NO.	DESCRIPTION	UNIT	AREA	REMARKS
1	GROUND FLOOR	SQ. M.	1000.00	
2	FIRST FLOOR	SQ. M.	1000.00	
3	SECOND FLOOR	SQ. M.	1000.00	
4	THIRD FLOOR	SQ. M.	1000.00	
5	TERRACE	SQ. M.	1000.00	
6	PARKING	SQ. M.	1000.00	
7	RAMP	SQ. M.	1000.00	
8	ROAD WIDENING	SQ. M.	1000.00	
9	WATER TANK	SQ. M.	1000.00	
10	STAIRS	SQ. M.	1000.00	
11	ELECTRICAL	SQ. M.	1000.00	
12	PLUMBING	SQ. M.	1000.00	
13	MECHANICAL	SQ. M.	1000.00	
14	LANDSCAPING	SQ. M.	1000.00	
15	WATER SUPPLY	SQ. M.	1000.00	
16	SEWERAGE	SQ. M.	1000.00	
17	WASTE DISPOSAL	SQ. M.	1000.00	
18	VEHICLE ENTRY	SQ. M.	1000.00	
19	VEHICLE EXIT	SQ. M.	1000.00	
20	PEDESTRIAN ENTRY	SQ. M.	1000.00	
21	PEDESTRIAN EXIT	SQ. M.	1000.00	
22	WATER TOWER	SQ. M.	1000.00	
23	GENERATOR	SQ. M.	1000.00	
24	STORAGE	SQ. M.	1000.00	
25	OFFICE	SQ. M.	1000.00	
26	RECEPTION	SQ. M.	1000.00	
27	CONFERENCE	SQ. M.	1000.00	
28	RESTROOM	SQ. M.	1000.00	
29	SHOWER	SQ. M.	1000.00	
30	LOCKER	SQ. M.	1000.00	
31	CHANGE ROOM	SQ. M.	1000.00	
32	STAIRS	SQ. M.	1000.00	
33	ELECTRICAL	SQ. M.	1000.00	
34	PLUMBING	SQ. M.	1000.00	
35	MECHANICAL	SQ. M.	1000.00	
36	LANDSCAPING	SQ. M.	1000.00	
37	WATER SUPPLY	SQ. M.	1000.00	
38	SEWERAGE	SQ. M.	1000.00	
39	WASTE DISPOSAL	SQ. M.	1000.00	
40	VEHICLE ENTRY	SQ. M.	1000.00	
41	VEHICLE EXIT	SQ. M.	1000.00	
42	PEDESTRIAN ENTRY	SQ. M.	1000.00	
43	PEDESTRIAN EXIT	SQ. M.	1000.00	
44	WATER TOWER	SQ. M.	1000.00	
45	GENERATOR	SQ. M.	1000.00	
46	STORAGE	SQ. M.	1000.00	
47	OFFICE	SQ. M.	1000.00	
48	RECEPTION	SQ. M.	1000.00	
49	CONFERENCE	SQ. M.	1000.00	
50	RESTROOM	SQ. M.	1000.00	
51	SHOWER	SQ. M.	1000.00	
52	LOCKER	SQ. M.	1000.00	
53	CHANGE ROOM	SQ. M.	1000.00	
54	STAIRS	SQ. M.	1000.00	
55	ELECTRICAL	SQ. M.	1000.00	
56	PLUMBING	SQ. M.	1000.00	
57	MECHANICAL	SQ. M.	1000.00	
58	LANDSCAPING	SQ. M.	1000.00	
59	WATER SUPPLY	SQ. M.	1000.00	
60	SEWERAGE	SQ. M.	1000.00	
61	WASTE DISPOSAL	SQ. M.	1000.00	
62	VEHICLE ENTRY	SQ. M.	1000.00	
63	VEHICLE EXIT	SQ. M.	1000.00	
64	PEDESTRIAN ENTRY	SQ. M.	1000.00	
65	PEDESTRIAN EXIT	SQ. M.	1000.00	
66	WATER TOWER	SQ. M.	1000.00	
67	GENERATOR	SQ. M.	1000.00	
68	STORAGE	SQ. M.	1000.00	
69	OFFICE	SQ. M.	1000.00	
70	RECEPTION	SQ. M.	1000.00	
71	CONFERENCE	SQ. M.	1000.00	
72	RESTROOM	SQ. M.	1000.00	
73	SHOWER	SQ. M.	1000.00	
74	LOCKER	SQ. M.	1000.00	
75	CHANGE ROOM	SQ. M.	1000.00	
76	STAIRS	SQ. M.	1000.00	
77	ELECTRICAL	SQ. M.	1000.00	
78	PLUMBING	SQ. M.	1000.00	
79	MECHANICAL	SQ. M.	1000.00	
80	LANDSCAPING	SQ. M.	1000.00	
81	WATER SUPPLY	SQ. M.	1000.00	
82	SEWERAGE	SQ. M.	1000.00	
83	WASTE DISPOSAL	SQ. M.	1000.00	
84	VEHICLE ENTRY	SQ. M.	1000.00	
85	VEHICLE EXIT	SQ. M.	1000.00	
86	PEDESTRIAN ENTRY	SQ. M.	1000.00	
87	PEDESTRIAN EXIT	SQ. M.	1000.00	
88	WATER TOWER	SQ. M.	1000.00	
89	GENERATOR	SQ. M.	1000.00	
90	STORAGE	SQ. M.	1000.00	
91	OFFICE	SQ. M.	1000.00	
92	RECEPTION	SQ. M.	1000.00	
93	CONFERENCE	SQ. M.	1000.00	
94	RESTROOM	SQ. M.	1000.00	
95	SHOWER	SQ. M.	1000.00	
96	LOCKER	SQ. M.	1000.00	
97	CHANGE ROOM	SQ. M.	1000.00	
98	STAIRS	SQ. M.	1000.00	
99	ELECTRICAL	SQ. M.	1000.00	
100	PLUMBING	SQ. M.	1000.00	

NET AREA OF PLOT = 4000 SQ. M.  
 AREA FOR ROAD WIDENING = 1000 SQ. M.  
 TOTAL AREA OF PLOT FOR ROAD WIDENING = 5000 SQ. M.

**SITE PLAN**



**FRONT ELEVATION**




**TERRACE FLOOR PLAN**




Handwritten notes in Hindi providing additional specifications and instructions for the terrace and other areas.



**THIRD FLOOR PLAN**




**TYPICAL FIRST AND SECOND FLOOR PLAN**



**GROUND FLOOR PLAN**



**PARKING FLOOR PLAN**



Handwritten notes in Hindi providing additional specifications and instructions for the parking area.